

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 264 OF 2021

IN THE MATTER OF:

Bachhidhar & Ors.

Versus

.....Applicants

State of Uttarakhand.

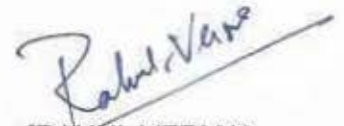
... Respondent

**REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE OF
UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 07.04.2022
PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED
MATTER**

P A P E R - B O O K
I N D E X

<u>Srl</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	Report by way of Affidavit on behalf of State of Uttarakhand in the abovementioned matter	1-11
2.	<u>ANNEXURE-1</u> : A true copy of the order dt.07.04.2022 passed by this Hon'ble Tribunal.	12-15
3.	<u>ANNEXURE-2</u> : Photocopy of the Office Memorandum dated 20 th December, 2016	16-17
4.	<u>ANNEXURE-3</u> : Photocopy of the Office Memorandum No.1480/VII-A-1/2021/68 Writ/TC-1 dated 8 th September, 2021	18-19
5.	<u>ANNEXURE-4</u> : Photocopy Office Memorandum No.2225/sto.Crh.Nwi./Khanani/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 28 th September, 2021	20-23
6.	<u>ANNEXURE-5</u> : Photocopy of the Office Memorandum No.444/VII-1/2019/12 Stone Crusher/15 dated 05 th March, 2019	24-25
7.	<u>ANNEXURE-6</u> : Photocopy of the Office Memorandum No.2148/sto.Crh.Nwi./Khanani/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 25 th September, 2021.	26-29
8.	<u>ANNEXURE-7</u> Photocopy of the Office Memorandum No.2146/sto.Crh.Nwi./Khanani/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 25 th September, 2021 Alongwith photocopy of Office Memorandum dated 16 th December, 2016	30-35

Filed by:



[RAHUL VERMA]

Additional Advocate General for State of Uttarakhand / Respondent
137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I, Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 264 OF 2021

1

IN THE MATTER OF

Bachhidhar & Ors.

.....Applicants

Versus

State of Uttarakhand

... Respondent

REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE OF
UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 07.04.2022
PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE
ABOVEMENTIONED MATTER

I, Dhiraj Singh Garbyal S/o Late Shri Daya Ram Singh Garbyal
aged about 49 years, presently posted as District Magistrate,
Nainital, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state
as under

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with
the facts and circumstances of the present matter, and I am fully
competent to file present Report by way of Affidavit on behalf of
State of Uttarakhand.
2. That the abovementioned matter was listed before this Hon'ble
Tribunal on 07.04.2022, after hearing at length the Hon'ble
Tribunal was pleased to pass a detailed order. The operative part
of the same are as follows:-

.....

.....

.....

1/5



We have considered the matter. We find the report to be unsatisfactory. On the one hand report filed on 09.02.2022 mentions compliances, on the other directions under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 dated 02.02.2022 have been issued mentioning violations as on 16.10.2021:-

- "1. The unit shall provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The unit shall provide adequate pucca settling tanks for waste water treatment.
3. The Unit shall provide water sprinklers with proper pressure as per the State Policy, 2020.
4. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy, 2011.
5. The Unit shall complete metalled road as per State Policy, 2011.
6. The Unit shall maintain proper logbook for water tankers used for sprinkling.
7. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020."



If stand of the PCB about violations is to be accepted, report dated 9.2.2022 recording compliance is contradictory. Further, it is not clear why inspection was undertaken when the stone crushers were not in operation. Statement of PP about the quantity of water used appears to have been accepted, without any verification. Permission for the units is said to have been renewed for 10 years but it is not clear how such renewal

has been granted when there were violations. To say the least, the report has not been furnished in a responsible manner. It is possible to draw an inference that the persons signing the report are colluding with the violators, which aspect needs to be verified at a higher responsible level in the administration in the interest of probity. Accordingly, we reject the report and direct proper verification and filing of a duly verified factual and action taken report, explaining the contradictions pointed out hereinabove. The report may also mention the ambient air quality and particulate matter data around the operating crushers, source of water for sprinkling and distance from agricultural and habitation. The report may be filed within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The Member Secretary, State PCB may remain present in person by VC the circumstances in which such unsatisfactory misleading report has been filed and remedial action taken.



A true copy of the abovementioned order dated 07.04.2022 is annexed hereto and marked as ANNEXURE -1.

3. That in compliance of the abovementioned order dated 07.04.2022 passed by this Hon'ble Tribunal, the present report by way of affidavit is being filed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal with regard to three approved/sanctioned Stone Crushers situated in Tehsil Betalghat, District Nainital, Uttarakhand, namely

– (i) Baijnath Stone industries Pvt. Ltd. (ii) Shri Maa Nanda Stone Crusher and (iii) Maa Girija Stone Crusher:

I. Baijnath Stone Crusher:- The permission was granted to Baijnath Stone Crusher vide Office Memorandum Government of Uttarakhand, Industry Development Section-1 No.1912/VII-1/49/Stone Crusher/2016 dated 20th December, 2016 (Photocopy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-2) for Middle Hilly Region of Uttarakhand as per conditions mentioned in Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant and Ready Mix Plant Licence Policy, 2015 as well as Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant, Redimix Plant Licence Policy, 2016 to the Baijnath Stone Industries Pvt. Ltd. Situated at Khasra No.348A, 351, 352, 353A, 354A, 355A and 291 (area 1.930 Hec. Middl. 1.260 Hec. Land) for 50 Tone per hour capacity for a period of 5 years for operation. The copy of the same was sent to the Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun.



Vide Office Memorandum No. 1480/VII-A-1/2021/68 Writ/TC-1, dated 8th September, 2021 of Industry Development (Mining) Section-1 Government of Uttarakhand (Photocopy

24

5

of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-3) the Sub Clause 2 of Clause 1 of Chapter-III of Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulvrisher Plant, Hot Mix Plant, Readymix Plant Licence Policy, 2020 was amended as – The renewal of Stone Crusher/ Screening Plant will be done on the recommendation of the District Magistrate and Director, Geology & Mining on the basis of Report of Joint Inspection Committee under the Chairmanship of the District Magistrate or the Additional District Magistrate/ Chief Development Officer nominated by District Magistrate. But at present due to Covid-19 Pandemic, and due to its infection in view of Ease of Doing Business, the renewal of licence of sanctioned/ operated Stone Crusher/ Screening Plant and the licence of storage of minerals in complex of the plant will be granted (except the plants seized by the orders passed by the Hon'ble Court/ Hon'ble National Green Tribunal) to the unit/applicant on the basis of depositing of renewal fee as per the conditions/norms of the policy by the Director, Geology & Mining after inspection of the record for 10 years.



- ii. Thereafter vide Office Memorandum No.2225/ sto. Crh. Nwi /Khanan/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 28th

2/3

September, 2021 (Photocopy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-4) in view of Office Memorandum No 1480/VII-A-1/2021/68 Writ/ TC-1, dated 8th September, 2021 of Industry Development (Mining) Section-1 Government of Uttarakhand the Sub Clause 2 of Clause 1 of Chapter-III of Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulviser Plant, Hot Mix Plant, Readymix Plant Licence Policy, 2020, the renewal was done in favour of M/s Bajnath Stone Industries Pvt. Ltd. Situated at Khasra No.348A, 351, 352, 353A, 354A, 355A and 291 (area 1.930 Hec. Middl. 1.260 Hec. Land) for 50 Tone per hour capacity for a period of 10 years. The copy of the same was sent to the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun with request to grant consent to operate in view of the conditions/ standard of the environment and as per the conditions / standards mentioned in the policy. The Pollution Control Board granted the permission to operate the plant till 31st March, 2026.



- III. Shree Maa Nanda Stone Crusher, Tehsil Betal Ghat, Distrit Nainital:- The permission was granted to Shree Maa Nanda Stone Crusher was granted vide Office Memorandum Government of Uttarakhand, Industry Development Section-

7

1 No.444/VII-1/2019/ 12 Stone Crusher/15 dated 05th March, 2019 (Photocopy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-9 for Middle Hilly Region of Uttarakhand as per provisions /conditions mentioned in Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant and Ready Mix Plant Licence Policy, 2015 as well as Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant, Ready-mix Plant Licence Policy, 2016 in continuation of proposal provided vide Letter No.927 dated 10th October, 2018 and Letter No.1249 dated 8th January, 2019 of the Director, Geology and Mining Unit, Directorate of Industries, Uttarakhand, Dehradun to Shree Ma Nanda Stone Crusher. Situated at Khasra No. Village Roulia Lagga (area 1626 930 Hec. Land). The permission for operation to the Unit in question was granted as per the conditions mentioned in the Licence for coming 10 years from 20th December, 2021 in view of all the conditions and in view of the last order passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand passed in PIL Writ No.54/2014 – Sunil Mehra –Vs- State of Uttarakhand & Ors. The copy of the same was sent to the Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun with a request to grant the



permission for consent to operate after ensuring all the norms/ conditions with regard to environment.

Thereafter vide Office Memorandum No.2148/ sto. Crh.Nwi./Khanan/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 25th September, 2021 (Photocopy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-6) in view of Office Memorandum No. 1480/VII-A-1/2021/68 Writ/ TC-1, dated 8th September, 2021 of Industry Development (Mining) Section-1 Government of Uttarakhand the Sub Clause 2 of Clause 1 of Chapter-III of Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulvriser Plant, Hot Mix Plant, Readymix Plant Licence Policy, 2020, the renewal was done in favour of M/s Shree Maa Nanda Stone Crusher situated at Khata No.19 Khasra No.71 to 74 (total area 0.626 Hec.) and additionally Khata No. 04, 16, 19, 25 and 24 of Khasra No.78, 79, 80B, 99, 105, 106, 121, 122, 123, 100A, 124, 101, 103, 104 (total area 1.512 Hec). the total area is 2.138 Hec. Of land situated at Village Roulia Lagga, Tehsil Betalghat, District Nainital, Uttarakhand for a period of 10 years. The copy of the same was sent to the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun with request to grant consent to operate in view of the conditions/ standard of the



9

environment and as per the conditions / standards mentioned in the policy. The Pollution Control Board granted the permission to operate the plant till 31st March, 2026.

- IV. Maa Girija Stone Crusher, Tehsil Betal Ghat, Distrit Nainital:- The permission was granted to Maa Girija Stone Crusher vide Office Memorandum Government of Uttarakhand, Industry Development Section-1 No.1741/VII-1/38- Stone Crusher/2016 dated 16th December, 2016 for Middle Hilly Region of Uttarakhand as per provisions /conditions mentioned in Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant and Ready Mix Plant Licence Policy, 2015 as well as Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant, Redimix Plant Licence Policy, 2016 to Maa Girija Stone Crusher, situated at Khasra No.319 (area 0.129 Hct.), 320 (ara 0.165 Hec.) 329 (area 0.160 Hec.), 340 (area 0.36 Hec.) total area 0.490 Hec. Land, Tehsil Betalghat, District Nainital, Uttarakhand for 30 Tone per hour capacity for a period of 5 years for operation. The copy of the same was sent to the Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun.



43

Thereafter vide Office Memorandum No.2146/ sto. Crh. Nwi./Khanani/Bhu.Kh.Ni.I.Nani./2021-22 dated 25th September, 2021 (Photocopy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE-7) in view of Office Memorandum No. 1480/VII-A-1/2021/68 Writ/ TC-1, dated 8th September, 2021 of Industry Development (Mining) Section-1 Government of Uttarakhand the Sub Clause 2 of Clause 1 of Chapter-III of Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulvriser Plant, Hot Mix Plant, Readymix Plant Licence Policy, 2020, the renewal was done in favour of Maa Girija Stone Crusher, situated at Khasra No.319 (area 0.129 Hct.), 320 (ara 0.165 Hec.) 329 (area 0.160 Hec.), 340 (area 0.36 Hec.) total area 0.490 Hec. Land, Tehsil Betalghat, District Nainital, Uttarakhand for a period of 10 years. The copy of the same was sent to the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun with request to grant consent to operate in view of the conditions/ standard of the environment and as per the conditions / standards mentioned in the policy. The Pollution Control Board granted the permission to operate the plant till 31st March, 2026.



4. That in compliance of the order dated 07.04.2022 passed by this Hon'ble Tribunal, the present Report by way of Affidavit is being

14/5

11

filed on behalf of State of Uttarakhand for kind perusal of this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.

16
DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.



Verified by me at Nainital, Uttarakhand on this 20 day of May, 2022.

16
DEPONENT

Certified that on/inst. *Shriy 'Shri Ranbir Singh'*
the Dependent Identified by *Self*.
Sworned & Verified the content of
this Affidavit at *Haldwani*,
on D. *20.5.22* at *6.00 P.M.*

Y. K. Deval
(Y. K. Deval)
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK)

Filed through:

Rahul Verma

[RAHUL VERMA]
/Respondent

137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I,
Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

12

ANNEXURE-1

Item No. 03

(Court No. 1)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(By Video Conferencing)

Original Application No. 264/2021

Bachhidhar & Ors.

Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand

Respondent

Date of hearing: 07.04.2022

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. VIJAY KULKARNI, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Respondent(s): Mr. Mukesh Verma, Advocate for UEPPCB

ORDER

1. Grievance in this application is against operation of stone crushers named Maa Nanda Stone Crusher, Baijnath Stone Industries and Maa Girja Stone Crusher at Betalghat Block, Village Ratoda, District Nainital in violation of environmental norms. The stone crushers are close to the river and cause air and noise pollution. They are also extracting ground water illegally. The application is supported by photographs.

2. Vide order dated 27.10.2021, the Tribunal directed the State PCB to ascertain facts and take remedial action and file an action taken report before this Tribunal.

3. In pursuance of above, an action taken report has been filed on 09.02.2022 after undertaking inspection of the area on 04.01.2022. It is stated that at the inspection the stone crushers were not in operation but they had made necessary provisions for water sprinkler, covering with CGI sheets for dust control, wind breaking wall, metalled roads and water spraying in green belts. Reference has also been made to earlier order of this Tribunal in O.A. No. 132 of 2021, *Manoj Joshi v. State of Uttarakhand & Ors.* which also involved the said three stone crushers. The Tribunal found the violations and directed remedial action. The State PCB has assessed compensation for the violations vide order dated 02.02.2022.

4. We have considered the matter. We find the report to be unsatisfactory. On the one hand report filed on 09.02.2022 mentions compliances, on the other directions under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 dated 02.02.2022 have been issued mentioning violations as on 16.10.2021:-

- “1. The unit shall provide ducting and scrubbing system in cover shed to arrest dust.
2. The unit shall provide adequate pucca settling tanks for waste water treatment.
3. The Unit shall provide water sprinklers with proper pressure as per the State Policy, 2020.
4. The Unit shall provide adequate green belt as per State Policy, 2011.
5. The Unit shall complete metalled road as per State Policy, 2011.
6. The Unit shall maintain proper logbook for water tankers used for sprinkling.
7. The Unit shall ensure compliance of conditions as per permission granted by the Industrial Development Section, Govt. of Uttarakhand, District Magistrate and UKPCB, as well as conditions stipulated in State Policy, 2020.”

5. If stand of the PCB about violations is to be accepted, report dated 9.2.2022 recording compliance is contradictory. Further, it is not clear why inspection was undertaken when the stone crushers were not in operation. Statement of PP about the quantity of water used appears to have been accepted, without any verification. Permission for the units is said to have been renewed for 10 years but it is not clear how such renewal has been granted when there were violations. To say the least, the report has not been furnished in a responsible manner. It is possible to draw an inference that the persons signing the report are colluding with the violators, which aspect needs to be verified at a higher responsible level in the administration in the interest of probity. Accordingly, we reject the report and direct proper verification and filing of a duly verified factual and action taken report, explaining the contradictions pointed out hereinabove. The report may also mention the ambient air quality and particulate matter data around the operating crushers, source of water for sprinkling and distance from agricultural and habitation. The report may be filed within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The Member Secretary, State PCB may remain present in person by VC the circumstances in which such unsatisfactory misleading report has been filed and remedial action taken.

List for further consideration on 23.05.2022.

A copy of this order be also forwarded to the Chief Secretary, Uttarakhand for appropriate action.

Adarsh Kumar Goel, CP

15

Sudhir Agarwal, JM

Arun Kumar Tyagi, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

Dr. Vijay Kulkarni, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

April 07, 2022
Original Application No. 264/2021
A


11 TRUE COPY

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1

संख्या: /91/-VII-1/49-स्टोन केशर/2016
संलग्नक: दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञान

उत्तराखण्ड के मुख्य पर्यटन क्षेत्र हेतु स्टोन केशर स्कीनिंग प्लान्ट एवं पल्पर/डिजल/मोबाइल स्टोन केशर अनुभाग नीति, 2016 के अन्तर्गत निर्देशक, भुगतान एवं खनिकी इकाई, उद्योग निर्देशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 735/सीओ/पुनर्निर्माण/नैनीताल/2016-17 दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 के द्वारा 5000 टन प्रतिघण्टा स्टोन इन्फ्रस्ट्रक्चर ग्राउंडिंग द्वारा ग्राम सल्लागौर, उदारीत बेतालगांव, जिला नैनीताल को ग्राम सल्लागौर, तहसील बेतालगांव, क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 3483, 351, 352, 353, 354, 355 एवं 2014 कुल रकबा 1,900 मध्ये 1,260 हे० भूमि में 60 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर को स्थापना/संभालन हेतु स्टोन केशर अनुभाग स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था।

2- शासन को कार्यालय ज्ञान संख्या- 1728/VII-1/16/60-सि/08 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्कीनिंग प्लान्ट मोबाइल स्टोन केशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट विस्तार प्लान्ट, रेडिगेस प्लान्ट अनुभाग नीति-2016 को प्रस्तावित किया गया है एवं सई नीति के अनुसार दूरी एवं क्षेत्रफल संबंधी मानकों में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं। किन्तु प्रस्ताव प्रस्ताव में नीति, 2016 के तहत ही विद्यमान नीति, 2016 के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ एवं मानक पूर्ण होने के प्रतिवृत्त फंक्शन हेतु, अनुरोध एवं विकास डिग्री में उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्कीनिंग प्लान्ट मोबाइल स्टोन केशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट विस्तार प्लान्ट, रेडिगेस प्लान्ट अनुभाग नीति-2016 में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने के बाद के अतीत अवधि में उद्योग स्टोन इन्फ्रस्ट्रक्चर ग्राउंडिंग द्वारा ग्राम सल्लागौर, उदारीत बेतालगांव, जिला नैनीताल को ग्राम सल्लागौर, तहसील बेतालगांव, क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 3483, 351, 352, 353, 354, 355 एवं 2014 कुल रकबा 1,900 मध्ये 1,260 हे० भूमि में 60 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर को स्थापना/संभालन हेतु 05 (पांच वर्ष) की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत स्टोन केशर अनुभाग स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

शर्तों-

1. स्टोन केशर स्थायी स्टोन केशर परिवार में लॉन्गवॉल/लॉन्गवॉल गार्डन गार्डन एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अविवेक) अधिनियम, 1987 एवं भूतलगत का नियंत्रण (निर्माण) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत, 2016 के अन्तर्गत होगा।
2. स्टोन केशर स्थायी स्टोन केशर प्लान्ट गार्डन (Equipment) को परिवार की चारदीवारी (Boundary wall) के अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा।
3. स्टोन केशर स्थायी द्वारा स्टोन केशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चार दीवारों का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो पर्याप्तताओं को भूतलगत की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० ऊँची होगी।
4. स्टोन केशर स्थायी द्वारा भूतलगत की ऊँचाई का सम्बन्धित ग्राम अधिकारी भुगतान एवं खनिकी विभाग एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
5. स्टोन केशर स्थायी द्वारा यदि कोई गार्डन/गार्डन गार्डन का भूतलगत की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना चाहता है तो स्टोन केशर स्थायी पर 50 से अधिक तक का अर्थ सन्दर्भित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज सेवा अधिकारी से कराया जायेगा।
6. स्टोन केशर स्थायी द्वारा ऐसा कोई स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
7. स्टोन केशर स्थायी द्वारा ऐसा सव्य स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रति प्रदूषण दिन में 75 dB(A)Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
8. स्टोन केशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed याद के अन्तर्गत स्थापित करना होगा। धूल प्रदूषित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
9. स्टोन केशर स्थायी द्वारा स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट के अन्तर्गत सभी मार्ग प्रकाश करने होंगे।

1/5



Signature of Y. K. DEVAL
National Secretary

10. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से घूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि घूल कम में न पड़े।
11. स्टोन केशर स्वामी द्वारा घास भाले तथा घूल वाले क्षेत्रों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हस्ति पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यहाँ यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संचयन शुरू करने के समय अर्थात् 05 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
12. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
13. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण करिंग, स्लीपिंग, कन्वेयर आदि घूल जन्तु विन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers पम्पाइ के स्थापना की जायेगी, जिससे घूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
14. स्टोन केशर स्वामी द्वारा फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, प्रप तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
15. कण्डेड हिन योश में घूल कणों को निष्कासन हेतु ड्रिफ्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये जिसकी आईवोडी फेन के माध्यम से स्फूर्ति की जायेगी। स्फूर्ति में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिस्टाईफिकल किया जायेगा।
16. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर की स्थापना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी को परित्र प्रमाण पत्र की नवीनतम प्रति उपलब्ध कराया जाना एवं तदनुसार शासन को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।
17. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर हेतु कच्चे माल की आपूर्ति जिन निजी खनन पट्टों से की जायेगी, यदि सक्ता पट्टों की क्षमता स्टोन केशर की क्षमता से कम है, तो स्टोन केशर स्वामी द्वारा अन्य पट्टों से स्टोन केशर हेतु कच्चा माल प्राप्त किये जाने हेतु अनुमति पत्रों को, समय पर पर उसकी सुधना से शासन को अवगत कराया जाना होगा।
18. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सैक लिस्ट के अनुसार स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।

(दिनम शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव।

पुष्टावली संख्या: (1)/VII-1/48-स्टोन केशर/2019, सर्वविनाशित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को संपूर्ण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, मेरौताल।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं स्मिथिक इकाई, जलोग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
4. जलेश्वर वैजनाथ स्टोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. द्वारा प्रप सन्तानांव, तहसील बेतालघाट, जिला मेरौताल।
5. आई फाईल।

18/5



आशा/स.

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

18TRUK COPY 11

certified that document
is the Dep. ment Identified by...
Sworned & Verified true in Content &
this Affidavit at Haldwani on 20-5-22 at 6:00 P.m.

(Y. Keshu Kumar Deval)
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK)

Rajendra Singh Pataliya
Haldwani

20/07/2021

18

ANNEXURE-3

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: 490/VII-A-1/2021/68 स्ट/टीसी-1
देहरादून, दिनांक: 08 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नालिखित नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (द्वितीय संशोधन) नीति, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (द्वितीय संशोधन) नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्याय-III के '2
विन्दु सं० 1 का
संशोधन

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-III के विन्दु सं० 1 के उप विन्दु (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विवरण रखा गया अध्याय अर्थात्

स्तम्भ-1

विद्यमान उपबंध

(2) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की समुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, मृत्तत्व एवं खनिकर्म की संसुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपबंध

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की समुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, मृत्तत्व एवं खनिकर्म इकाई की संसुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी।

परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की संभावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा० न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या रीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र



46



के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रवृत्तियों को पूर्ण किये जाने से संबंधित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणन (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा संबंधित अभिलेखों का परीक्षण/जांच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

आज्ञा से,
(आर० गीनादी सुन्दरन)
सचिव

5/5

4/1

UTROE COPY

Shishu Garbha

certified that the said...
the Department identified by...
Sworn & verified by...
his Affidavit...
n D. 20.5.20... 6.00 P.M.
M. K. Deval
(Y. Keshu Kumar Deval)
Secretary, Ministry of Panchayats
New Delhi (N.D.)

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालगानी, देहरादून।

20

ANNEXURE-4

संख्या : 2225/स्टो0क्र0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021-22,

दिनांक 28 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, फ्लवशईंजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 1 के उप विन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपत्र (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अनितेष्टों का परीक्षण/जाँच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रयुक्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 06 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्रावधान के सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल सेधा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भू0खनि0ई0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण करने की निम्न समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है।

अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा पत्र संख्या 81-P-146/स्टो0क्र0नवी0/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021-22, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के द्वारा मैसर्स वैजनाथ स्टोन क्रेशर, भोपालगानी, ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 1260 हे0 भूमि में पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित 20 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1912/VII-1/49-स्टोन क्रेशर/2016, दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति 2016 में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने के शर्त के अधीन आवेदक वैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल को ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 348 अ, 351, 352, 353 अ, 354 अ, 355 अ एवं 291 स कुल रकबा 1:930 हे0 मध्ये 1260 हे0 भूमि में 50 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। तदोपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 1825/30 जी0सी0/2016-17, दिनांक 27 अप्रैल 2017 के द्वारा प्लांट स्वामी के पक्ष में ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत खसरा

सं० 348 अ, 349, 350, 351, 352, 353 अ, 355 अ, 354 अ, 291 अ, 291 कुल रकबा 1.855 हे० भूमि में एक समय में 62,850 घनमीटर उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति दिनांक 19 दिसम्बर 2021 तक की अवधि हेतु स्वीकृत की गयी है।

वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर प्लांट की क्रशिंग क्षमता लगभग 180 टन प्रति घंटा आंगणित होती है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या-9 में उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 64/भूखनि०ई०/स्टो०क्रेश०नवी०/नैनीताल/2021-22, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 उप बिन्दु 2 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत नैसर्ग वैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध कुल रकबा 1.260 हे० भूमि में पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 20 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है:-

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्त" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-स्वन्ता पोर्टल पर किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी

स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लांट संचालन से पूर्व पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिखा जाना अपरिहार्य होगा।

नीति के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क ₹० 10,88,000/- (रुपये दस लाख अठारसी हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-स्वन्ता पोर्टल में अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।

5. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।

6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशड मेटेरियल (गिट एवं डस्ट) की मात्रा पर ₹० 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लांट में छाने गये उपखनिज (घालू, दजरी) की मात्रा पर ₹० 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकॉर्डिंग की सी०डी० प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।

8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 6 (ड.) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से कूड़ा किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
11. वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2020 के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर प्लांट की क्रशिंग क्षमता लगभग 180 टन प्रति घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आरबीएम की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $90 \times 180 \times 10 = 1,62,000$ टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात् (अक्टूबर से जून) तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $45 \times 180 \times 10 = 81,000$ टन होती है तथा वर्ष में 5,48,000 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, पन्नासाईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
14. प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 906/VII-1/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय चैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

28/09/2021
(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

1. सचिव, सनम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जलोग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्व कराने का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक (खनन)/ नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
6. मैसर्स वैजनाथ स्टेन इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, यम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल।

4/3

9/5/22
(एस०एल० पैट्रिक)
अपर निदेशक।



11 TRUE COPY!!
Shish Gourbhal

certified to be a true and correct copy of the Dep. ment Identified by... Self
sworn & Verified me in Content of
his Affidavit at Haldwani on 20.5.22 at 6.00 P.M.
in D. 20.5.22
Yogesh Kumar Devani
(Yogesh Kumar Devani)
Notary, Haldwani
Distt. Nainital (UK.)

24

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

संख्या: 444 / VII-1 / 2019 / 12 स्टोन क्रेशर / 15

दिनांक: 05 मार्च, 2019

ANNEXURE-5

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-687 / VII-1 / 12-स्टोन क्रेशर / 2015, दिनांक 01 जुलाई, 2015 द्वारा प्रो० श्री दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रेशर के पक्ष में जनपद नैनीताल, तहसील बेतालघाट, नैनीताल मय पांच चौक, ग्राम रौतिया लम्गा के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.626 है० क्षेत्रफल में उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रिनिंग प्लांट एवं फ्लवराइजर अनुज्ञा नीति, 2011 के प्रावधानानुसार 200 टन प्रति दिन क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 03 वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गई तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-2018 / VII-1 / 2018 / 12 स्टोन क्रेशर / 15, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 द्वारा उक्त स्टोन क्रेशर की क्षमता 45 टन प्रति घंटा निर्धारित कर स्टोन क्रेशर का विनियमनीकरण किया गया। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रिनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रिनिंग प्लांट, हार्ड मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-1 के विन्दु सं० 9 एवं अध्याय-III के विन्दु सं० 1 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 927 / खनिज / स्टोनक्रैशर / नैनी० / भू०खनि०ई० / 2018-19, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 एवं पत्र संख्या-1249 / खनिज / भू०खनि०ई० / नैनी० / स्टो-नवी / 2018-19, दिनांक 8 जनवरी, 2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में प्रो० श्री दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रेशर के पक्ष में जनपद नैनीताल, तहसील बेतालघाट, नैनीताल मय पांच चौक, ग्राम रौतिया लम्गा के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.626 है० क्षेत्रफल में उक्त स्वीकृत स्टोन क्रेशर संचालन की अनुज्ञा का उक्त नीति के प्रख्यापन की तिथि 19.11.2016 से आपानी 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 18.11.2021 तक नवीनीकरण नीति के अध्याय-III के विन्दु सं० 2 के अवशेष प्रावधानों का अनुपालन किये जाने तथा जनहित याचिका सं० 54 / 2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रिनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रिनिंग प्लांट, हार्ड मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-III के विन्दु सं० 1(1) के प्रावधानानुसार अपेक्षित वार्षिक मूल्य निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।
2. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर परिसर में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अथवा खनिज, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, के अधीन करेगा।
3. स्टोन क्रेशर स्वामी स्टोन क्रेशर प्लांट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी के अन्दर स्थापित करेगा।
4. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर प्लांट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपसर्गों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० ऊँची होगी।
5. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन क्रेशर स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिसोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।
7. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
8. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A) Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।
9. स्टोन क्रेशर तथा कच्चे माल/तैयार माल को covered shed के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर / स्क्रिनिंग प्लांट को अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।



11. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से घूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे घूल हवा में न उड़े।
 12. स्टोन केशर स्वामी द्वारा जारी तस्मा घूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित प्रकृष्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया सफ़ा चालू करने के समय अर्थात् 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
 13. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
 14. स्टोन केशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण केशिंग स्क्रीनिंग कन्वेयर आदि घूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे घूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
 15. स्टोन केशर स्वामी द्वारा फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी, ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
 16. कवर्ड टिन शीट में घूल कणों को निष्कासन हेतु ड्रिफ्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फैन के माध्यम से स्क्रीनिंग की जायेगी। स्क्रीनिंग में प्रयुक्त जल को सेलटिंग टैंक के माध्यम से रिसाइकिल किया जायेगा।
 17. स्टोन केशर स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हार्ड मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2018 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना होगा।
- स्टोन केशर को भण्डारण की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा स्टोन केशर स्वामी को स्टोन केशर संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।



गरिमा रौकली
संयुक्त सचिव

संख्या- 444 (1)/VII-1/2019 तददिनांकित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, मूल्य एवं खनिकर्ष इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपस्थित पत्र दिनांक 10.10.2018 एवं पत्र दिनांक 08.1.2019 के सन्दर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मानकों को पूर्ण करने हेतु, जो भी सर्त निर्धारित है, उनका अनुपालन Consent to operate देने से पूर्व कराना सुनिश्चित करें।
4. प्रो० श्री दीपक साह, श्री मा० नन्दा स्टोन केशर ग्राम रौनिका तहसील, नैनीताल मय पांच थोक, तहसील वेतालगाट, जगदल नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।

1 TRUB COPY
Dhiron Singh Lalwal
certified that on/Date...
the Dep. nent Identified by...
sworned & Verified the in Content of
his Affidavit...
in D-20.5.22 at 6.00 P.M.
Yogesh Kumar Deval
20.5.22
20.5.22

आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह पटियाल)
उप सचिव



26

ANNEXURE-6

संख्या : 444/VII-1/2019/12-स्टोन क्रेशर/15 देहरादून/खनन/भूखनिर्देश/नैनी/2021-22,

दिनांक 25 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रिनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रिनिंग प्लांट, मल्टाईज्डर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 के उप बिन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि:- स्टोन क्रेशर/स्क्रिनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रिनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (माओ न्यायालय, माओ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपत्र (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जाँच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तुक्त उक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्रावधानों को सफल एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेघा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/भूखनिर्देश/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रिनिंग प्लांट तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन कराते हुए नवीनीकरण आदेश निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 09/भूखनिर्देश/स्क्रिनिंग/नैनी/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा श्री मों नन्दा स्टोन क्रेशर, प्रो० श्री दीपक शाह के पक्ष में जिला नैनीताल, तहसील बेतालघाट नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम रीलिया लम्गा क्षेत्रान्तर्गत खाता संख्या 19 के खसरा संख्या 71 से 74, कुल रकबा 0.626 है० भूमि के अतिरिक्त खाता संख्या 04, 16, 19, 25 व 24 के खसरा संख्या 78, 79, 80 व 99, 105, 106, 121, 122, 123, 100 अ, 124, 101, 103, 104 कुल रकबा 1.512 है० इस प्रकार कुल रकबा 2.138 है० भूमि में पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 19 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु जनहित याचिका संख्या 54/2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माओ उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 444/VII-1/2019/12-स्टोन क्रेशर/15 देहरादून दिनांक 05 मार्च 2019 के द्वारा प्रो० श्री दीपक शाह, श्री मों नन्दा स्टोन क्रेशर के पक्ष में जिला नैनीताल तहसील बेतालघाट नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम रीलिया लम्गा क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 0.626 है० क्षेत्रफल में उक्त स्वीकृत स्टोन संचालन की अनुज्ञा का उक्त नीति के प्रख्यापन की तिथि 19.11.2016 से आगामी पाँच वर्ष अर्थात् दिनांक 18.11.2021 तक नवीनीकरण, नीति के अध्याय III के बिन्दु संख्या-2 के अन्वेष प्रावधानों का अनुपालन किये जाने तथा जनहित याचिका संख्या 54/2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में माओ उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्लाट स्वामी के आवेदन प्रपत्र में प्लाट की क्षमता 200 टन/घंटा उल्लिखित की गयी है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लाट की वास्तविक क्षमता का आकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या-9 में उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लाट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के पत्र संख्या 69/भूखनि0ई0/स्टो0क्रे0नवी0/नैनी0/2021-22 दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय डाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1 दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 उप बिन्दु 2 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत श्री मॉ नन्दा स्टोन क्रेशर, प्रो० श्री दीपक शाह के पक्ष में जिला नैनीताल, तहसील बेतालघाट नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम सौलिया लम्गा क्षेत्रान्तर्गत खाता संख्या 19 के खसरा संख्या 71 से 74, कुल रकबा 0.626 है० भूमि के अतिरिक्त खाता संख्या 04, 16, 19, 25 व 24 के खसरा संख्या 78, 79, 80 व 99, 105, 106, 121, 122, 123, 100 व 124, 101, 103, 104 कुल रकबा 1.512 है० इस प्रकार कुल रकबा 2.138 है० भूमि में पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर के संचालन की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 19 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए जनहित याचिका संख्या 54/2014 सुनील मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है:-

शर्तें :

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लाट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-रवन्ना पोर्टल बनाम विनियमित जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1845/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी
3. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लाट संचालन से पूर्व पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. नीति के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रु० 1,22,000/- (रुपये दस लाख दो सौ बीस हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-रवन्ना पोर्टल में अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1845/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशड मेटेरियल (घिट एवं डस्ट) की मात्रा पर रु० 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लाट में छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रु० 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0893 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकाटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिकार्डिंग की सी०डी० प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।

8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 6 (ङ) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट द्वारा वन क्षेत्र से क्रय किये गये उपखनिज को प्लान्ट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वस्थ परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।
11. प्लांट स्वामी के आवेदन पत्र में प्लांट की क्षमता 200 टन प्रति घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $90 \times 200 \times 10 = 1,80,000$ टन तथा वर्षाकाल से भिन्न अवधि अर्थात् (अक्टूबर से जून) तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता $45 \times 200 \times 10 = 90,000$ टन होती है तथा वर्ष में 7,20,000 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
12. स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर्, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के विन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, नृत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का सुक्ति-मुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
14. यदि प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट में नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की पर्याप्त समझौता की जायेगी।
15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 806/VII-1/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अद्वैत खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में संजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गम आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

22/07/2024
(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक।

संख्या: 2148/स्टोनक्रेशर/खनन/भूखनिज/नैनी/2021-22, तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं सैनिकी इकाई, जल विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मामलों को पूर्ण करने हेतु, जो भी शर्त निर्धारित है, उनका अनुपालन Consent to Operate देने से पूर्व करना का कष्ट करें।
5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं सैनिकी इकाई, देहरादून।
6. श्री मॉन्टा स्टोन कौशर, प्लॉट भी दीपक शाह, ग्राम रौलिया लम्गा, नैनीचक, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल।

L/S

25/05/2024
(एसओएलओ पैट्रिक)
अपर निदेशक।



TRUE COPY

Shiraf Singh Garbasa

certified that the above
the Dependent Identified by...
Sworn & Verified the in Content of
this Affidavit...
on D... at...

Y. K. Deval
(Y. K. Deval)
Notary, Haridwar
Distt. Nainital (U.K.)



भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालमानी, देहरादून।

30

ANNEXURE-7

विषय: 2055/खनन/मूखनि0ई0/नैनी0/2021-22,

दिनांक 25 सितम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रिनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रिनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हार्ट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के अध्याय-III के विन्दु संख्या 1 के उप विन्दु 2 में संशोधन किया गया है कि:- स्टोन क्रेशर/स्क्रिनिंग प्लांट का नवीनीकरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। परन्तु वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण की सम्भावनाओं एवं Ease of Doing Business के दृष्टिगत पूर्व से स्वीकृत तथा संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रिनिंग प्लांट एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण (मा0 न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश द्वारा बन्द या सीज की गयी इकाईयों को छोड़कर) आवेदक इकाई द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा किये जाने एवं आवेदन पत्र के साथ नीति में निर्धारित मानकों/प्रावधानों को पूर्ण किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र के द्वारा स्वप्रमाणपत्र (Self Certification) प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण/जोच करने के उपरान्त आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह परन्तु उपर्युक्त नीति प्रख्यापित होने की तिथि से 01 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। शासन के पत्र संख्या 1551/VII-A-1/2021-68 रिट/08 टीसी-1, दिनांक 08 सितम्बर 2021 के द्वारा स्टोन क्रेशर नीति, 2020 में उक्तानुसार किये गये प्रावधान के सफल एवं सकारण क्रियान्वयन हेतु श्री राजपाल लेधा, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या 2055/खनन/मूखनि0ई0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रिनिंग प्लांटों तथा प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश नीतिगत समस्त नियमों का पालन करते हुए नवीनीकरण प्रणाली निर्गत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को एतद्वारा अधिकृत किया गया है।

नोडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 08/मूखनि0ई0/स्टोनक्रेशरनीनी0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा मॉ गिरिजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवाबी रोड, हल्द्वानी के पक्ष में ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319, 320, 329, 336, 337, 338, 340, 330 अ, 330 ब, 331 से 335, 347, 348 अ कुल रकबा 1.180 है० (वर्तमान में उपलब्ध कराये गये भूका खसरा विवरण के अनुसार) भूमि में पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट की अनुज्ञा का नवीनीकरण मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 07 नवम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1741/VII-1/38-स्टोन क्रेशर/2016, दिनांक 16 दिसम्बर 2016 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1890, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 द्वारा नीति 2016 में जोड़े गये उल्लिखित प्रावधान अध्याय-VI में की गयी व्यवस्थानुसार नवीन नीति के प्रख्यापन से पूर्व शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में तत्समय प्रचलित नीति के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ एवं मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत राजस्व हित, जनहित एवं विकास हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर नीति-2016 में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने के शर्त के अधीन मॉ गिरिजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवाबी रोड, हल्द्वानी के नाम से ग्राम तल्लागांव, तहसील बेतालघाट जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319 रकबा 0.129 है०, 320 रकबा 0.165 है०, 329 रकबा 0.160 है०, 340 रकबा 0.036 है०, कुल रकबा 0.490 है० नाप भूमि में 30 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर की स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए आदेश में वर्णित शर्तों के अधीन स्टोन क्रेशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

५५

प्लॉट स्वामी के आवेदन प्रपत्र में प्लॉट की दामता 100 टन/घंटा उल्लिखित की गयी है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लॉट की वास्तविक क्षमता का आकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या-9 में उल्लिखित गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लॉट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जायेगी।

मॉडल अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्मा ईकाई, देहरादून के पत्र संख्या 08/भूखनिई0/स्टोनक्रेशरी0/उद्य0/2021-22, दिनांक 21 सितम्बर 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1480/VII-A-1/2021/68 रिट/टीसी-1, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 उप बिन्दु 2 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत मॉ गिरिजा स्टोन क्रेशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवाबी रोड, इल्हामी के पक्ष में ग्राम तल्लामांव, ताहसील बेतालघाट जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319, 320, 329, 336, 337, 338, 340, 330 अ, 330 ब, 331 से 335, 347, 348 अ कुल रकबा 1.180 हे० (उपलब्ध कराये गये मौका खसरा विवरण के अनुसार) भूमि में पूर्ण से स्वीकृत/समाहित स्टोन क्रेशर प्लॉट की अनुज्ञा का मय भण्डारण अनुज्ञा सहित दिनांक 16 दिसम्बर 2021 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाता है:-

शर्तें:

1. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लॉट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 14 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा ई-स्वन्ना पोर्टल बन्द किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. स्टोन क्रेशर नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (15) की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
3. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 7 (16) के अनुसार प्लॉट संचालन से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Operate लिया जाना अपरिहार्य होगा।
4. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 9 की अनुपालना मा० न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 1645/एम०एस०/2020 बलविन्दर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुसार की जानी होगी।
5. नीति के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 1 (1) के अनुसार अवशेष शुल्क रु० 990,000/- (रुपये उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र) नवीनीकरण आदेश के उपरान्त तथा ई-स्वन्ना पोर्टल में अपलोड/अपडेट किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना होगा।
6. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (क) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक को क्रशर मैटेरियल (ग्रिट एवं बस्ट) की मात्रा पर रु० 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा क्रेशर प्लॉट में छाने गये उपखनिज (बालू, बजरी) की मात्रा पर रु० 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलीह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ख) के अनुसार स्टोन क्रेशर के स्वामी के द्वारा प्लान्ट के प्रवेश में व निकासी गेटों पर कम्प्यूटाइज्ड धर्मेकाटा एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करेगा तथा रिफॉडिंग की सी०डी० प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तदनुसार निदेशक को सूचित किया जायेगा।
8. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाइश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (घ) के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा न करने की दशा में खनिजों के परिवहन हेतु संबंधित जिला खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र 'जे' जारी नहीं किया जाएगा।
10. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 6 (इ) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट द्वारा वन क्षेत्र से कचरे किये गये उपखनिज को प्लांट में Process किये जाने के उपरान्त crushed material/ Screened material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed material वन उपज की श्रेणी में नहीं आवेगा।
11. प्रस्ताव के साथ संलग्न प्लांट स्वामी के आवेदन प्रपत्र में प्लांट की क्षमता 100 टन/घंटा तथा प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10 घंटा प्रतिदिन के आधार पर वर्षाकाल (जुलाई-सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आरबीएम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की एक समय में मण्डारण क्षमता $90 \times 100 \times 10 = 90,000$ टन तथा वर्षाकाल से निम्न अवधि अर्थात् (अक्टूबर से जून) तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में मण्डारण क्षमता $45 \times 100 \times 10 = 45,000$ टन होती है तथा वर्ष में 3.80 लाख टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी।
12. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट, पल्लवाइंजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2020 के अनुसार प्लांट की वास्तविक क्षमता का आंकलन नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 9 में गठित समिति से कराये जाने के उपरान्त ही प्लांट की वास्तविक क्षमता निर्धारित की जा सकेगी।
13. स्टोन क्रेशर नीति-2020 के अध्याय-III के बिन्दु संख्या 3 (1) के अनुसार प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जाएगा।
14. प्लांट स्वामी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्लांट स्वामी की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट के नवीनीकरण की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
15. प्लांट स्वामी के द्वारा उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 156/ VII-1/2020/158 ख-04 टीसी, दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं मण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
16. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 212/2019 "त्रिलोक चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
17. प्लांट स्वामी के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर भिन्न-भिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

25/09/2021
(एस0एल0 पैट्रिक)

OK अपर निदेशक।

संख्या 2146/स्टोनक्रेशरनीति/खनन/मूखनिई0/नैनी0/2021-22, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित मानकों को पूर्ण करने हेतु जो भी शर्तें निर्धारित हैं, उनका अनुपालन करवाया जाए।

- 33
5. उपनिदेशक (खनन)/नोडल अधिकारी, मूल्य एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
 6. उप-निदेशक/जोड़त कान अधिकारी, मूल्य एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल।
 7. श्री गिरिजा इलीस कंशर, निदेशक, श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवावी रोड, हल्द्वानी।



16

25/09/2021
(एसओएलओ पैट्रिक)
ल/अपर निदेशक।

1, TRUE COPY

Shri Singh Garbajal

Attest at Haldwani
Identified by Self
and verified in Content of
Affidavit
on 20.5.22 at 6.00 P.m.

Yash Kumar Deval
Notary Haldwani
(U.K.)



उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1

44 / VII-1 / 38-स्टोन केशर/2016
देहरादून : दिनांक: 11 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप



उत्तराखण्ड के 'मध्य पर्वतीय क्षेत्र' हेतु स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट एवं पत्थरआईजर, मोबाईल स्टोन केशर अनुज्ञा नीति, 2015 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 655/खनन/स्टोन केशर/नैनीताल/2016-17, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 के द्वारा आवेदक मों गिरीजा स्टोन केशर, निदेशक, श्री अजय कुमार मुत्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवाबी रोड, हल्द्वानी के नाम से ग्राम तल्लागांव तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319 रकबा 0.129 है०, 320 रकबा 0.165 है०, 329 रकबा 0.160 है०, 340 रकबा 0.036 है० कुल रकबा 0.490 है० नाप भूमि में 200 टन प्रतिदिन क्षमता के स्टोन केशर के स्थापना/संचालन हेतु स्टोन केशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1758/VII-1/16/68-रिट/08 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2016 का प्रख्यापन किया गया है एवं नई नीति के अनुसार मानकों में परिवर्तन किये गये हैं। किन्तु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1890/VII-1/16/68-रिट/08 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा नीति, 2016 में जोड़े गये अतिरिक्त प्राविधान अध्याय-VII में की गयी व्यवधानानुसार नवीन नीति के प्रख्यापन से पूर्व शासन को उपलब्ध कराये गये प्रश्नगत प्रस्ताव में तत्समय प्रचलित नीति के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ एवं मानक पूर्ण होने के दृष्टिगत राजस्व हित, जनहित एवं विकास हित में उत्तराखण्ड स्टोन केशर स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2016 में उल्लिखित अन्य समस्त शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने के शर्त के अधीन आवेदक मों गिरीजा स्टोन केशर, निदेशक, श्री अजय कुमार मुत्ता, निवासी गंगा इन्क्लेव सी-7, नवाबी रोड, हल्द्वानी के नाम से ग्राम तल्लागांव तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल के खसरा संख्या 319 रकबा 0.129 है०, 320 रकबा 0.165 है०, 329 रकबा 0.160 है०, 340 रकबा 0.036 है० कुल रकबा 0.490 है० नाप भूमि में 30 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर के स्थापना/संचालन हेतु 05 (पांच वर्ष) की अवधि के लिए विन्यासित शर्तों के अधीन स्टोन केशर अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

शर्तों:-

1. स्टोन केशर स्वामी स्टोन केशर परिसर में कचरेमाल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2015 यथाराशोषित, 2016 के अधीन करेगा।
2. स्टोन केशर स्वामी स्टोन केशर प्लान्ट संयंत्र (Equipment) की परिसर की चारदीवारी (Boundary wall) के अन्दर स्थापित करेगा।
3. स्टोन केशर स्वामी द्वारा स्टोन केशर प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० उंची होगी।
4. स्टोन केशर स्वामी द्वारा भण्डारण ऊँचाई का सत्यापन ज्ञान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि के साथ करेगा।
5. स्टोन केशर स्वामी द्वारा यदि कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक से अधिक किया जाना पाया गया, तो स्टोन केशर स्वामी पर रु० दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
6. स्टोन केशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम हो।
7. स्टोन केशर स्वामी द्वारा ऐसा संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण दिन में 75 dB(A) Leq एवं रात्री समय में 70 dB(A) Leq से कम हो।

58

C.A-0

जाय

00145

श्री निरंजना

8. स्टोन क्रेशर तथा कन्वेयर बेल्ट को covered shed सेज को अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर water sprinkler लगाने होंगे।
9. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
10. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का निचमिता छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
11. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संतुल्य धातु करने के समान अवधि 06 माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।
12. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
13. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा सम्पूर्ण क्रिशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारे की स्थापना की जायेगी, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
14. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जायेगी ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
15. काई टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये जिसकी आईडी फेन के माध्यम से स्कविंग की जायेगी। स्कविंग में प्रयुक्त जल को सेलेंटिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जायेगा।
16. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी को चरित्र प्रमाण पत्र की नवीनतम प्रति उपलब्ध कराया जाना एवं तदनुसार शासन को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।
17. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर हेतु कच्चे माल की आपूर्ति जिन निजी खनन पट्टों से की जायेगी, यदि उक्त पट्टों की क्षमता स्टोन क्रेशर की क्षमता से कम है, तो स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा अन्य पट्टों से स्टोन क्रेशर हेतु कच्चा माल प्राप्त किये जाने हेतु अनुमति करते हुए, शपथ पत्र पर उसकी सुचना से शासन को अवगत कराया जाना होगा।
18. स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न धौक सिस्ट में उल्लिखित शर्तों एवं मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक होगा।

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: (1)/VII-1/38-स्टोन क्रेशर/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकार्य इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
4. श्री गिरीजा स्टोन क्रेशर, निदेशक श्री अजय कुमार गुप्ता, निवासी गंगा इन्वलेव सी-7, मवाबी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. गार्ड फाईल।



आज्ञा से

(राजेंद्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।

attested that on this
the Dep-ment Identified by
Sworned & Verified in
his Affidavit
on D-20.5.22 at

20.5.22 6:00 P.M.
Y. K. Deval
(Y. K. Deval)
Notary, Haldwani